आय-व्ययक :

BUDGET :

अनुदानों की मांगों पर मतदान :

Voting on Demands for Grants :

चिकित्सा।

Medical.

श्री हरिनाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'चिकित्सा विभाग' के संबंध में ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान की दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये २,७८,४५,२७८ रु० से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। गत वर्ष की मांग पेश करते हुए मैंने कहा था कि चिकित्सा विभाग और लोक स्वास्थ्य विभाग दोनों और कमिटी की सिफारिश के अनुसार १ मई, १९५३ से मिला दिए गए हैं। एकीकरण की योजना पहले-पहल प्रयोगात्मक रूप से दो वर्ष के लिये अनुमोदित की गई थी। मुझे सदन को यह कहते हुए खुशी होती है कि यह योजना सफल सिद्ध हुई और दोनों विभागों का एकीकरण मई, १९५५ से स्थायी रूप में मंजूर हो गया। इस योजना की सफलता का एक चिह्न यह है कि अब आरोग्यकारी और रोग निरोधक उपायों में कहीं अधिक समन्वय है और जैसा कि सबने देखा है, महामारियां अब पहले की तरह जोर-शोर से नहीं फैलती हैं, और हैजा, चेचक, प्लेग आदि बीमारियों से उतने लोग नहीं मरते हैं। चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य विभागों के कार्य परस्पर सम्बद्ध हैं और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के शीघ्र एवं अधिकाधिक विकास को देखते हुए दोनों विभागों का और अधिक समन्वय इतना जरूरी समझा जाता है कि न केवल अभी की तरह दोनों को मिलाए रखना परमावश्यक है वरन् हर जिले में अन्ततः सब जगह ऐसा करना अपेक्षित है। विभाग की दोनों प्रशाखाओं का खर्च अभी तक दो अलग शीर्षकों में विकलित होता है; "३८-चिकित्सा" और "३९-लोक-स्वास्थ्य"। चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य के सारे खर्च को एक शीर्षक में विकलित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और आशा है कि इसका निर्णय शीघ्र हो जायगा।

३८-चिकित्सा के अधीन १९५५-५६ और १९५६-५७ के बजट अनुमान नीचे दिये जाते हैं :—

		रु०
बजट अनुमान १९५५-५६	..	१,७७,५९,९६०
संशोधित बजट १९५५-५६	..	२,०३,६३,६०९
बजट अनुमान १९५६-५७	..	२,७८,४५,२७८

१९५१-५२ में जब कि पंच-वर्षीय योजना आरम्भ हुई थी, चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य दोनों के अधीन १.८२ करोड़ कुल खर्च था जबकि १९५६-५७ में केवल

अध्यक्ष—दूसरे दिन पहले आपको समय दिया जायगा।

श्री केशव प्रसाद—मैं बोल रहा था कि स्पिरिचुअलिज्म पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि इर्रेलिभेन्ट हो सकता है। मेटेरियलिस्टिक कनसेप्शन की दुनियां जो चल रही है, शायद आहिस्ते-आहिस्ते इस बात को महसूस करेगी कि गलत रास्ते में जा रहे हैं और उनका रास्ता गलत है, बिल्कुल डाइभरटेड रास्ता है, फ्रौम ट्रुथ एंड रियलिटी। इसलिए उनको सोचना है कि आज के युग में मेटेरियलिज्म पर पहुंच कर भी फायदा नहीं करते हैं तो 'वेदर वी शुड रिटर्न टु स्पिरिचुअलिज्म और पेरिश'। यह दो सवाल है, इन दो सवालों को हमें ठंढे दिल से जवाब देना है। मुझे समय तो ज्यादा नहीं है कि इस बात पर कुछ और कहूं क्योंकि हमें तो अभी मेडिकल बजट पर बोलना है।

अध्यक्ष—अब आप बैठ जायं। सोमवार को पहला टर्न आपको मिलेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव।

ADJOURNMENT MOTION;

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा श्री गीता प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०, की पुत्री की एक्स-रे परीक्षा करने में उपेक्षा।

NEGLIGENCE IN ARRANGING FOR X' RAY EXAMINATION OF THE DAUGHTER OF SHRI GITA PRASAD SINGH, M. L. C. IN PATNA MEDICAL COLLEGE HOSPITAL.

***Shri MUDRIKA SINGH** : Sir, I beg to move :

"That the House do adjourn to discuss an urgent and definite matter of public importance, viz., the utter neglect of duties in not attending to the urgent and serious injury of the daughter of Shri Gita Prasad Singh, M.L.C., by the Medical College Hospital Administration, Patna by not arranging for the X' ray examination of her fractured left hand as recommended by a doctor".

अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं इस विषय पर आऊं रेडियो विभाग, पटना जेनरल होस्पिटल की चन्द महत्वपूर्ण हिदायतों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक्सरे के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण हिदायत या स्टेंडिंग आर्डर, आप जो समझें, यह है कि डाक्टर वर्मा को जो वहां के रेडियोलौजिस्ट हैं, यह इंस्ट्रक्शन है कि कोई अर्जेंट केस हो या रिक्वीजीशन स्लिप पर अर्जेंट लिखा हो, वह एक्सरे के लिये आये तो उस पर रेडियोलौजिस्ट यानी जो इसके प्रमुख डाक्टर हैं, उनके दस्तखत के बिना जो टेक्निशियन्स हैं उन्हें एक्सरे ले लेना चाहिये। साधारणत: उनके दस्तखत की जरूरत होती है लेकिन ऐसे केसेज में उनके दस्तखत की जरूरत नहीं है। दूसरी हिदायत या स्टेंडिंग आर्डर यह है कि ऐसे रिक्वीजीशन स्लिप जिनपर अर्जेंट नहीं लिखा हुआ हो, लेकिन वह हेड इन्जुरी हो या फैक्चर का केस हो या इसी तरह के दूसरे केस हों तो टेक्निशियन्स को बिना रेडियोलौजिस्ट यानी हेड ऑफ दि डिपार्टमेंट की इजाजत के या उनके सिगनेचर के एक्सरे ले लेना चाहिये और

उन्हें अर्जेंट मानना चाहिए। यही दो हिदायतें या स्टैंडिंग आर्डर हैं जिनके आधार पर जो केस में आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसपर विचार करना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन दो हिदायतों से हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री अबतक जरूर अवगत हो गये होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इन दो हिदायतों का हवाला इसलिये दे रहा हूं कि इन्हीं के आधार पर सदन के सामने यह विषय रखने जा रहा हूं कि गीता बाबू की बच्ची के केस के सिलसिले में अस्पताल के टेक्निशीयन्स ने अपनी ड्यूटी में फेल किया है और इन्हीं दो स्टैंडिंग आर्डर्स के आधार पर मैं अपना केस स्टैब्लिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह दर्दनाक कहानी गत ५ मार्च की है। श्री गीता प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०, की बच्ची उनकी अनुपस्थिति में चार तारीख को सीढ़ी से लुढ़क गई और उसका हाथ टूट गया। उनके घर में कोई मेल मेम्बर नहीं था। फलस्वरूप ज्योंही वे घर आये यानी ५ ता० के सुबह को तो वे एम० एल० ए० डिस्पेन्सरी के डाक्टर गुहा के पास, जो मास्टर आफ सर्जरी हैं, बच्ची को ले गये। बच्ची को देखते ही उसको अर्जेंसी समझकर उन्होंने तुरत एक रिक्वीजीशन स्लिप बनाई और उन्हें हिदायत की कि जल्द से जल्द वे जेनरल होस्पिटल चले जायं और एक्सरे विभाग में जाकर उसका एक्सरे लें और तत्पश्चात् जो बोन के स्पेशलिस्ट डाक्टर मुख्योपाध्याय हैं उनके यहां जांय। उन्होंने यह भी हिदायद की कि एक्सरे की ड्राई प्लेट मिलने में देर होगी इसलिए वे डाक्टर से आग्रह करेंगे कि वे वेट प्लेट दे दें।

श्री देवकी नन्दन झा—हुजूर, मैं एक पोआएन्ट आफ इन्फोर्मेशन चाहता हूं। चार तारीख को किस वक्त बच्ची का हाथ टूटा और पांच तारीख को वे किस वक्त अस्पताल ले गये।

श्री मुद्रिका सिंह—चार बजे शाम को घटना हुई। I do not want to be interrupted, Sir, because I have got only 15 minutes time at my disposal.

अध्यक्ष महोदय, वे वहां हिदायत के अनुसार गये। उस समय एक्सरे विभाग के जो दो-तीन डाक्टर या टेक्निशीयन्स हैं वे बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। यह साढ़े आठ बजे सुबह का समय था। बहुत देर तक गीता बाबू अपनी बच्ची को गोदी में लिये वहां खड़े रहे, बच्ची रो रही थी, चिल्ला रही थी फिर भी टेक्निशीयन्स का ध्यान उसकी ओर आकर्षित नहीं हुआ। इसपर उन्होंने उनका ध्यान शब्दों से अपनी ओर आकर्षित किया और कहा कि हम एक्सरे के लिए आये हैं एम० एल० ए०, डिस्पेन्सरी की रिक्वीजीशन स्लिप है। वहां पर जो दो-तीन डाक्टर या टेक्निशीयन्स बैठे हुए थे उनमें एक का नाम शर्मा जी है। उन्होंने गीता बाबू से कहा कि आज एक्सरे का दिन नहीं है। गीता बाबू ने कहा कि यह अर्जेन्ट केस है और उन्होंने रिक्वीजीशन स्लिप दिखलाई। शर्मा जी ने इस पर कहा कि आपलोगों को सारा केस अर्जेन्ट ही रहता है। फिर भी गीता बाबू खड़े रहे और कोई जवाब नहीं मिलने पर दो-तीन मिनट के बाद बोले कि आप हुक्म देते हैं या मैं लौट जाऊं। शर्मा जी ने कहा कि आप एक्सरे चाहते हैं तो यहां के जो प्रमुख डाक्टर वर्मा साहब हैं उनके पास आप जायं, जब उनका सिगनेचर होगा तो हम एक्सरे ले लेंगे। उन्होंने शर्मा जी से कहा

कि आप कृपया हमारी इतनी मदद करेंगे कि डाक्टर वर्मा कहां बैठते हैं? शर्मा जी ने कहा कि बाहर जाकर आप किसी से पूछ लें, यह मेरा काम नहीं है। वे बाहर आये और खोजते-खोजते किसी तरह वर्मा साहब तक पहुंचे। उस समय वे कुछ कागज देख रहे थे, उन्होंने कहा कि आप किधर आये, जरा बाहर ठहर जांय। १० मिनट के बाद वे फिर उनके पास गये और रिक्वीजीशन स्लिप उन्हें दिखलाई। देखते ही वे बोले कि क्या टेक्नीशियन्स ने एक्सरे नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जी नहीं, आपके दस्तखत की जरूरत है जैसा कि उन्होंने कहा है। डा० वर्मा साहब ने तुरत दस्तखत मारा और अलग से एक स्लिप लिखा कि "Technician, why did you not arrange the X-ray without my signature?

उस रिक्वीजीशन स्लिप और डाक्टर वर्मा की वह एक्सट्रा स्लिप जो उन्होंने अपनी ओर से दी थी, लेकर डाक्टर शर्मा के पास आये। शर्माजी स्लिप देखते ही आग बबूला हो गये और आपे से बाहर हो गये और उन्होंने इन्सानियत की जो सीमा है, उसका भी उल्लंघन किया और कहा कि हम तो आपके साथ शराफत से पेश आये थे वरना उसी समय हम आपको निकाल देते, बाहर कर देते। उस समय वहां पर हेड टेक्नीशियन इन्द्रासन बाबू भी कुछ दूर पर थे। इतना कहकर डाक्टर शर्मा उस स्लिप को लिए हुए जो डा० वर्मा ने लिखा था, इन्द्रासन बाबू के पास गये और स्लिप दिखलाते हुए बोले कि 'देखो ना, डाक्टर वर्मा ने क्या नोट लिख डाला है'। इन्द्रासन बाबू ने कागज को देखा। गीता बाबू ने कहा कि यह तो आपके डिपार्टमेंट की बात है, आपने हिदायत दी तो हम उनके पास गये, उन्होंने क्या लिखा इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं है। आप क्या हुक्म देते हैं? शर्मा जी ने कहा कि आपका एक्सरे तो होगा, आप रजिस्टर में इंट्री करायें।

गीता बाबू बच्ची को लिये बहुत देर तक बरामदे में चक्कर काटते रहे लेकिन रजिस्टर में इंट्री करने वाला कोई नहीं था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चिकित्सा मंत्री सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेंगे। इंद्रासन बाबू टेक्नीशियन ने इनसे कहा कि पहले आपको रजिस्टर में इंट्री करवाना होगा और वहां डा० शर्मा हेड टेकनीशियन भी थे जिनका काम रजिस्टर में इंट्री करने का था। गीता बाबू बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। आधे घन्टे के बाद डा० शर्मा से गीता बाबू ने कहा कि इंट्री करनेवाले का पता नहीं है तो क्या करूं। डा० शर्मा ने कहा कि जब तक इंट्री नहीं होगी तब तक हम एक्सरे नहीं ले सकते हैं क्योंकि इंट्री के बाद ही हमारा काम शुरू होता है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद गीता बाबू डा० वर्मा के घर पर यह कहने के लिये गये कि आपकी हिदायत के बाद न तो वहां रजिस्टर का ही पता है और न रजिस्टर में इंट्री करने वाला ही है। डा० वर्मा घर पर नहीं थे और दरवाजे पर एक बूढ़ा था जिसने बताया कि डा० वर्मा अपने वार्ड में भ्रमण करने गये हैं। इसके बाद फिर गीता बाबू लौटकर डा० शर्मा के पास गये और बोले कि इतनी देर तक हम परेशान रहे, अब क्या करें? इस पर भी डा० शर्मा बोले कि जब तक इस पर नम्बर नहीं चढ़ेगा तब तक एक्सरे का काम नहीं शुरू हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाय, बाहर जाकर एक्सरे करा लूं? जब ये बातें हो रही थीं तब इन्द्रासन बाबू ने गीता बाबू से कहा कि फार्म हमें दे दीजिए। गीता बाबू ने समझा कि अब हमारे प्रति उनके मन में दया आ गयी और हमारे बाहर एक्सरे कराने के विचार से इनका मन पिघल गया इसलिए उन्होंने फार्म उन्हें दे दिया। फार्म अपने हाथ में लेने के बाद इन्द्रासन बाबू ने कहा कि अब आप जहां चाहें जाकर

एक्सरे करा लीजिये। गीता बाबू ने कहा कि इस पर यह लिखा है कि कहां पर बांह टूट गयी है और किस हिस्से का एक्सरे होना चाहिये इसलिए कागज तो लौटा दीजिए। इसपर इन्द्रासन बाबू ने कहा कि इस पर हमारे बौस का सिगनेचर है इसलिए यह अस्पताल की प्रोपरटी है, इसे हम नहीं दे सकते हैं। एक तरफ कागज गीता बाबू पकड़े हुए थे और दूसरी ओर इन्द्रासन बाबू पकड़े हुए थे। उनकी बच्ची ो रही थी और जब उनको कागज नहीं मिला तो आंखों में आंसू भर कर और दिल में तमन्ना लिये हुए बाहर जाकर एक्सरे करा लिया। अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटी ी कहानी है लेकिन बहुत दर्दनाक है और फेल्योर आफ ड्यूटी की कहानी है जिसे मैं आपके जरिये सदन के सामने रखता हूं। एक तरफ हिदायत यह है कि अर्जेंट केसेज में इंचार्ज के दस्तखत की जरूरत नहीं है फिर भी गीता बाबू से कहा गया कि डा० वर्मा के दस्तखत की जरूरत है। डा० वर्मा ने एक्सट्रा स्लिप पर लिखा कि तुमने क्यों नहीं एक्सरे लिया? मुझे उम्मीद है कि माननीय चिकित्सा मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे। हिदायत यह है कि जहां अर्जेंट केस है, जहां कोई अंग फ्रैक्चर हो गया हो वहां डा० वर्मा के सिगनेचर की जरूरत नहीं है। डा० वर्मा ने टेकनीशियन को पावर भी ऐसे केसेस के लिये दे दिया है मगर यह नहीं हुआ। क्या इन सब बातों से यह पता नहीं लगता है कि यह षड्यंत्र है ?फरव ी महीने में आई० जी०, पुलिस के कुत्ते का तीन बार एक्सरे लिया गया। एक आदमी के काम के लिये दो और तीन प्लेट बरबाद किये जाते हैं और किसीके केस को कुछ नहीं समझा जाता है। चीफ मिनिस्टर यहां मौजूद हैं इसलिये मैं उनसे यह कहता हूं कि वे इस बात को देखें कि कुछ दिन पहले, पर पेशेन्ट कितना प्लेट बर्बाद होता था और अब पर पेशेन्ट कितना प्लेट बर्बाद होता है। पहले..................

अध्यक्ष—समय हो गया, अब आप बैठ जायं।

---

*श्री राम नारायण चौधरी—अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री मुद्रिका प्रसाद सिंह जी ने सदन के सामने जो स्थगन-प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और समर्थन इसलिए करता हूं कि यह घटना यों तो देखने में साधारण घटना मालूम होती है लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज इसकी गहराई में जाकर हमको सोचना है कि यह घटना जो माननीय सदस्य श्री गीता प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०, के साथ हुई है, उसका क्या महत्व है और उसकी क्या अहमीयत है। मैं जब सोच रहा था कि चिकित्सा विभाग के मंत्री जो इस विभाग के खुदा हैं, उनका इसमें कहां तक दोष है और जो नौकरान हैं आदम की तरह उनका कहां तक दोष है तो मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ।

आदम को खुदा मत कह, आदम खुदा नहीं।
लेकिन खुदा के नूर से, आदम जुदा नहीं।।

हमको सोचना होगा कि इसमें चिकित्सा विभाग के मंत्री और उनके नौकरान का कितना दोष है। प्रश्न यह है कि अभी जो शासन चल रहा है उसमें प्रतिनिधियों का क्या सम्बन्ध है। आज हम यह पाते हैं कि अफसरों में नौकरशाही मनोवृत्ति बढ़ रही है। जब जनता के प्रतिनिधि गीता बाबू के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है तो यह आसानी से समझा जा सकता है कि ये अफसर जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर सोचता हूं तो बड़ा ही दुख होता है। आज ही में एक किताब 'ब्युरोक्रेसी इन डिमौक्रेसी' नाम की पढ़ रहा था। उसका एक चैप्टर है, मैं अपने नौजवान चिकित्सा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा इसे पढ़ने के लिये। अध्यक्ष महोदय, आज नौकरशाही जिस तरह की है उसे सब कोई जानते हैं। तकलीफ की सबसे बड़ी बात यह होती है कि सरकार के समालोचक इनके नौकर खुद होते हैं। आप आज अस्पताल में देखेंगे कि अगर कोई एम० एल० ए० या उसके किसी व्यक्तिगत आदमी की चर्चा हो गई कि उनके ऊपर व्यंग विद्रुप किये जाते हैं और उनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार होता है। अगर वहां के कर्मचारियों को मालूम हो गया कि कोई एम० एल० ए० का सम्बन्धी है तो तरह-तरह के व्यंग कसे जाते हैं। आज गीता प्रसाद जैसे आदमी जिस वातावरण से आये हैं, उनका जो स्वभाव है, उनका जो शील है और वे जिन नेताओं के संपर्क में आये हैं वे उनके आचरण को जानते होंगे। मैं जानता हूं कि किस तरह उनकी लड़की के पैर की हड्डी टूट गई और किस तरह वे अस्पताल पहुंचे। कुछ ऐसा कह सकते हैं कि उसीके प्रतिक्रिया स्वरूप वे कुछ दूसरा व्यवहार किये होंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि इनकी जवानी की अवस्था में जो प्रतिक्रिया हुई उसमें वे तनिक भी अशांत नहीं हुए। व्यवहार की जो बात हुई उसे हमारे दोस्त श्री मुद्रिका सिंह ने आपके सामने बयान किया। आज जब गीता प्रसाद जैसे लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो जनता के साथ क्या हो रहा है, यह प्रश्न ही कहां उठता है, इस पर आपको और हमको गंभीरता के साथ सोचना है। यह प्रथम घटना नहीं है बल्कि इस तरह की घटनाएं रोज हुआ करती हैं। अभी कुछ दिन की बात है एक एम० एल० ए० बीमार पड़े और सरकारी गाड़ी पर उनको ले जाया गया और १२ घंटे तक कोई डाक्टर उनको देखने के लिये नहीं आया और खुद इसी मंत्रिमंडल के एक मंत्रीजी ने जब उनका ध्यान आकृष्ट किया तब अटेंड किया गया। उसी तरह मैं अपने दांत के दर्द के सिलसिले में अस्पताल गया, मैंने बताया भी नहीं कि मैं एम० एल० ए० हूं क्योंकि हमने सोचा कि साधारण जनता की तरह हमारे साथ भी व्यवहार हो, काफी प्रतीक्षा करने के बाद हमारी बारी आई। दांत उखड़वाना था और सूई के लिये एक विद्यार्थी डाक्टर को कह दिया गया, जिस तरफ सूई देनी थी उधर न देकर दूसरी तरफ देने लगे लेकिन कहने पर ठीक स्थान पर दिये। उसके बाद दांत उखाड़ने के लिये एक विद्यार्थी डाक्टर को कह दिया, मैंने कहा कि क्या एक्सपेरिमेंट हमी पर किया जायगा तो डाक्टर साहब ने कहा कि वह बहुत अच्छा डाक्टर है। खैर दांत उखाड़ा गया, लेकिन इतना व्यवहार भी वे करना पसन्द नहीं किये कि जरा टिंचर लगा दें। मैं यह नहीं चाहता कि एम०एल०ए० और साधारण व्यक्ति में इस मामले में डिफरेंशियल तरीके से काम लिया जाय लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो फिर जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा, इसे आप समझ सकते हैं। गीता बाबू जैसे व्यक्ति के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो दूसरों के सम्बन्ध में क्या आशा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इससे भी एक और गम्भीर बात है। जो कुछ उस दिन इस प्रश्न को लेकर यहां बात हुई थी इसके बाद से ही यह दिखलाने की कोशिश की जा रही है, इस आशय का कागज तैयार किया जा रहा है, जैसा कि विश्वसनीय सूत्र से पता चला है, कि यह दिखलाया जाय कि उस दिन उस समय बहुत से अर्जेंट केसेज

थे इसलिए गीता बाबू के केस को अटेंड करना सुविधाजनक नहीं था। मैं अपने चिकित्सा मंत्री से कहूंगा कि वे आज ही, शीघ्र ही, इस बात की जांच करावें कि क्या यह बात सही है या नहीं? इतना ही नहीं आपको यह भी देखना होगा कि आस-पास के आठ-दस दिनों में रोजाना अर्जेंट केस कितने थे और अगर सभी दिनों से उस दिन में साम्यता हो, हो सकता है दो-चार का फर्क हो लेकिन १६ या १७ केसेज ज्यादे हो, तो इस पर विचार करना होगा, इसकी जांच होनी चाहिये। अगर ऐसी बात हो तो मैं समझता हूं कि अपने दोष को छिपाने के लिये सिर्फ रेडियोलौजिस्ट या टेकनीशियन्स का यह काम नहीं हो सकता है, उसमें अवश्य ही सुपरिंटेंडेंट या दूसरे अफसरों के मेल से ही यह संभव हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जांच अत्यन्त शीघ्रता के साथ होनी चाहिये ताकि उनको फिर दूसरा उपाय अपने दोष को छिपाने के लिये निकालने का मौका न मिले।

श्री हरिनाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वायन्ट आफ इन्फौर्मेशन रेज करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव सिर्फ टेकनीशियन्स के लिए है या सुपरिंटेंडेंट या डेपुटी सुपरिंटेंडेंट के लिये भी है, मैं समझता हूं कि इस काम में जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं सुपरिंटेंडेंट या डिपुटी सुपरिंटेंडेंट का भाग लेना अस्वाभाविक मालूम होता है।

श्री रामनारायण चौधरी—बातें अगर स्वाभाविक रहतीं तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अस्वाभाविक बातें हुई हैं तभी इन बातों को कहा जा रहा है। मुझे इसकी खबर अत्यन्त ही विश्वसनीय सूत्र से मिली है और इसीलिये मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। मैं नहीं कहता हूं कि सुपरिंटेंडेंट साहब या कोई दूसरा अफसर दोषी है या नहीं लेकिन जिस तरह की घटना घटी है और उसको छिपाने के लिये जो काम किये जा रहे हैं उसका मुझे भान हुआ है और उसका जिक्र मैं कर रहा हूं।

अध्यक्ष—यह तो आपका अनुमान है।

श्री रामनारायण चौधरी—अध्यक्ष महोदय, जिसने लिख कर दिया वह प्रामाणिक आदमी है इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तुरत जांच हो। क्योंकि आप जानते हैं कि अफसरों के बीच बेरादराने सम्वन्ध की वजह किस तरह की कोशिश होती है दोष को छुपाने के लिये जब एक पर आफत आती है, सभी उसकी रक्षा करने लगते हैं।

मैं जानता हूं और इसलिए कहता हूं कि कागज मंगाया जाय और उसकी जांच की जाय कि कितने अर्जेंट केसेज उस दिन आये थे। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि जो केसेज रेफर होकर एक्सरे के लिये अस्पताल में आये उनमें बहुत से पर अर्जेंट लिख दिया गया ताकि पता चले कि बहुत अर्जेंट केसेज थे। मेरा ख्याल है अध्यक्ष महोदय, इसमें डाक्टर वर्मा और सुपरिंटेंडेंट साहब का जरूर हाथ था तभी ऐसा हुआ।

अध्यक्ष—आप क्या पढ़ रहे हैं? यहां चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत है?

श्री राम नारायण चौधरी—तो मैंने शुरू ही में कहा है कि जितने अफसर हैं उनकी बात जब आती है तो किस तरह मिला-जुला कर सचाई को छिपाने की कोशिश की जाती है। एक तरफ यह कहा जाता है कि आज एक्सरे का दिन नहीं है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि एक्सरे के बहुत केसेज थे। तो मेरा कहना है कि उस दिन बहुत से अर्जेंट केसेज थे इसकी जांच होनी चाहिये। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि इसमें सुपीरियर अफसर का हाथ था इसीलिए कागज में हेर-फेर किया गया है।

श्री रामचन्द्र यादव—अध्यक्ष महोदय, यह जो श्री गीता प्रसाद जी के साथ घटना घटी है वह एक नयी घटना नहीं है। बहुत से लोगों के साथ इस प्रकार की घटना घटी है। मेरे पास उदाहरण हैं। मैं यह कह सकता हूं कि डाक्टर लोग रोगियों के साथ इन्सान के ऐसा वर्ताव नहीं करते हैं।

अध्यक्ष—उदाहरण मत दीजिये। जो घटना घटी है और उसके बारे में आप कुछ जानते हैं वही कहिये।

श्री रामचन्द्र यादव—आज परिस्थिति ऐसी है कि जो डाक्टर मेडिकल कॉलेज के हैं वे अपने घर पर मरीज को देखते हैं और घर पर देख कर ज्यादे पैसा लेते हैं और उन्हीं का ऐडमीशन करते हैं।

अध्यक्ष—आप एक जिम्मेवार सदस्य हैं; अनिश्चित बातें न कहिये। जो वाकया हुआ है उसके बारे में जो कुछ जानते हैं और उसमें जो कुछ गलती हुई है और किसने ऐसी गलती की इन विषयों पर कहिये।

श्री राम चन्द्र यादव—श्री गीता बाबू अपनी लड़की को लेकर अस्पताल के सब दरवाजे को खटखटाये। उनके पास एम० एल० ए० डिस्पेन्सरी के डाक्टर का अर्जेन्ट स्लिप भी थी लेकिन तौभी उनको मेडिकल एड नहीं मिल सकी। वे चारों तरफ से निराश होकर इधर-उधर भटकते रहे।

अध्यक्ष—किसकी गलती है वह बतलाइये?

श्री रामचन्द्र यादव—जो एक्सरे लेने वाले शर्मा थे उन्होंने कहा कि डा० वर्मा का दस्तखत ले आइये तब एक्सरे होगा। इसमें उनको बहुत परेशानी हुई। यह उनकी गलती है और उनकी बच्ची की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। और उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सका और वे बाजार में आये। मैं एक केस को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। एक हमारे एम० एल० ए० श्री रामेश्वर प्रसाद यादव बीमार पड़े। दो दिन तक घर पर ही इलाज हुआ। एम० एल० ए० डिस्पेन्सरी के डाक्टर ने इलाज किया। उनको १०२ डिग्री टेम्परेचर था। लेकिन जब उनका टेम्परेचर नहीं उतरा तो मैंने अस्पताल के सुपरिन्टेन्डेन्ट को फोन किया और

ऐम्बुलेंस मांगा। थोड़ी देर में ऐम्बुलेन्स आ गया और में उनको लेकर अस्पताल पहुंचा और इंडियन पेइंग वार्ड में उनका ऐडमिशन हो गया। जो रुपया पेइंग वार्ड का जमा करना था वह जमा कर दिया गया। हमारे दोस्त रामेश्वर यादव, सदस्य, विधान सभा, वहां रह गये। उसके बाद लोगों ने कहा कि आप जाइये सब कुछ हो गया। उसके बाद रात को मैं भी उनको देखने के लिए अस्पताल गया तो देखा कि उनको १०५ डिग्री बुखार है। रात के नौ बजे थे। मैंने सभा नेता डा० श्रीकृष्ण सिंह को फोन किया लेकिन वे एभेलेबुल नहीं थे। उसके बाद अनुग्रह बाबू को फोन किया। हमारे दुर्भाग्य से वे भी एभेलेबुल नहीं रहे। उसके बाद चिकित्सा मंत्री को फोन किया वे भी नहीं मिले। उसके बाद श्री शिवनन्दन मंडल को फोन किया, वे मिले और उन्होंने कहा कि मैं अभी आता हूं और वे गये। उसके बाद सभी डाक्टर पहुंचे। मंडल जी ने कहा कि जो भी गलती हुई वह हुई, अब सब ठीक हो जायगा। डाक्टरों से पूछा गया तो उन लोगों ने कहा कि जो रुपया जमा किया गया उसकी रसीद मेरे पास नहीं पहुंची। और जिस डाक्टर के चार्ज में वे थे उसने कहा कि इसके पहले मेरी अनुमति लेनी चाहिए थी। इसी तरह कई एक बहाने किए गये जिस तरह कोई चोर कोर्ट में बहाना करता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गीता बाबू अपनी लड़की को लेकर परेशान हुए और किसी प्रकार उनको मेडिकल एड नहीं मिल सकी और वे निराश होकर लौटे।

अध्यक्ष महोदय, यही हालत आज हर जगह की हो गयी है। और मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर जरा गंभीरतापूर्वक ध्यान दे। आजकल जो हमारे डाक्टर हैं उनका उद्देश्य बदल गया है, उनका उद्देश्य केवल यही है कि जैसे हो खूब रुपया बनाना, उनमें आज यह भावना नहीं रह गयी है कि वे जनता को रोगों से मुक्त करें, सेवा करने की भावना को वे बिल्कुल भूल गये हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वे इस ओर उचित कारंवाई करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चुनका हेम्ब्रोम—अध्यक्ष महोदय, श्री मुद्रिका सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करने को मैं खड़ा हुआ हूं। हमलोगों को मालूम है कि हेड ऑफ डिपार्टमेन्ट की हिदायद है कि यदि कोई इमरजेन्ट केस आ जाय तो बिना उनकी सहमति लिये ही उस केस को टेकअप करना चाहिये। इस हिदायद के विपरीत और जब कि गीता बाबू के नुस्खे पर इमरजेन्ट शब्द लिखा हुआ था, फिर भी जब गीता बाबू अपनी लड़की को लेकर गये तो उनको कहा गया कि हेड ऑफ डिपार्टमेन्ट की अनुमति ले आवें, और जब वे अनुमति लाने गये तो वहां भी १० मिनट समय लग ही गया और अनुमति देते हुये हेड ऑफ डिपार्टमेन्ट ने लिखा कि ऐसे इमरजेन्ट केस के लिये मेरी हिदायत पहले से है कि फौरन टेकअप किया जाय। बड़े दुःख की बात है कि हमारे प्रान्त के डाक्टर ऐसे निष्ठुर हैं कि उनके दिल में रोते-कलपते हुये मरीजों के लिये कोई दर्द नहीं है। इस तरह के डाक्टर दुनियां में किसी दूसरी जगह नहीं पाये जाते हैं। हमारे मुख्य मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं। मैं उनसे बड़े अदब के साथ कहूंगा कि जब आप जनता से रुपया लेकर उनपर खर्च करते हैं, उनको मुशहरा देते हैं, उनके रहने के लिये मकान देते तथा दूसरी-दूसरी तरह की सुख-सुविधायें देते हैं तो फिर आप उन्हें क्यों नहीं मजबूर करते कि वे अपना काम ठीक से करें। जब लेजिस्लेचर के एक मेम्बर के साथ वे इतनी

बुरी तरह पेश आ सकते हैं तो आप खुद सोचें कि आम जनता के साथ उनका कैसा व्यवहार हो सकता है। बात ऐसी मालूम होती है कि मंत्री लोग अपने-अपने विभागों को अपने काबू में नहीं रख सकते हैं बल्कि उन विभागों के अफसरों के काबू में ही उन्हें रहना पड़ता है। यह सब खराबी इसी कारण है कि आपने उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट दे रक्खी है। आपके छूट के कारण वे दिन-रात पैसा चूसने में लगे रहते हैं और जिसने दो-दो सौ, चार-चार सौ रुपया दे दिया, उसका इलाज फौरन करते हैं और यहां तो माननीय सदस्य को मुफ्त का इलाज करवाना है इससे तो कुछ मिलने-जुलने वाला नहीं है, इसलिये वे क्यों इनकी परवाह करेंगे। इस तरह की मनोवृत्ति हमारे प्रान्त के डाक्टरों की हो गयी है। जब हमलोग इस सभा के समक्ष कोई शिकायत करते हैं तो माननीय मंत्री उसको छिपाने की कोशिश करते हैं।

अध्यक्ष—छिपाने की कोशिश करते हैं ऐसा कोई सबूत तो नहीं है?

श्री चुनका हेम्ब्रोम—मैं अनुमान से कहता हूं।

अध्यक्ष—अनुमान के आधार पर शिकायत नहीं करनी चाहिये।

श्री चुनका हेम्ब्रोम—जी अच्छा, मैं इसे वापस कर लेता हूं।

यह बात कही गयी कि यह केस सचमुच इमरजेन्ट केस नहीं था लेकिन इसे इमरजेन्ट केस बनाया गया। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे डाक्टरों में मनुष्यता नहीं है और वे मनुष्य होते हुए भी मनुष्यों को चूसते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इन सभी बातों की जांच करे और जो दोषी समझे जायं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। और यह बहाना सरकार न लगाय कि यदि हम प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर देंगे तो हमें एक्सपर्ट्स नहीं मिलेंगे। मंत्री ऐसी बातें करते हैं तो डाक्टरों के दिमाग पर यह असर होता है कि हमारे बिना सरकार का काम ही नहीं चलेगा।

आज से पहले जब स्वराज नहीं हुआ था तब हमलोग मुख्य मंत्री महोदय का भाषण सुनते थे, तो बहुत प्रभावित होते थे।

Shri RAMCHARITRA SINGH : I rise on a point of order, Sir. The adjournment motion is on a specific issue, but the hon'ble member is diverting his speech to other points in a general way. That he should not do.

SPEAKER : I think he can plead for punishment also.

Shri RAMCHARITRA SINGH : If that is your ruling, Sir, I resume my seat.

श्री चुनका हेम्ब्रोम—मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं इसको दुहरा देना चाहता हूं कि मेरा यह चिकित्सा मंत्री महोदय से नम्र निवेदन है कि इसकी वह काफी छान-बीन करावें और जो कसूरवार हो उसको उचित दंड दें।

*श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत गौर से मुद्रिका बाबू के भाषण को सुना और हमारे माननीय सदस्यों ने जो कहा उसको भी सुना। इसमें दो राय की बात नहीं हो सकती कि हमारे पटना मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने फेलियोर आफ ड्यूटी बराबर दिखलाई है और दिखलाते हैं और यह एक दुखद बात है जिसके लिए उनका कंडेमनेशन होना चाहिए। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि इस सवाल को इस दृष्टिकोण से देखा जाय कि गीता बाबू विरोधी दल के सदस्य हैं। यह सवाल तो हमारे साथ या सभी के साथ है। मैं यह भी नहीं चाहता कि बिहार विधान सभा या परिषद् के सदस्य होने की हैसियत से किसी को खास प्रिभीलेज दिया जाय। मेरा कहना यह है कि भारत के नागरिक होने की हैसियत से जो मेरा या किसी का अधिकार हो वह अवश्य मिले। पटना मेडिकल कालेज अस्पताल में दुर्व्यवहार होता है लोगों के साथ और वहां फेलियोर आफ ड्यूटी होती है और इसका मैं एक मिसाल अपने तजरबे का यहां देना चाहता हूं।

अध्यक्ष—आपके मिसाल से इस स्थगन-प्रस्ताव का क्या संबंध है?

Shri DAROGA PRASAD RAI : This will show, Sir, that it is not the first time that failure of duty on the part of the Medical College Hospital authorities has occurred, and that it is a thing which is of common occurrence.

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—उनके पहले के कंडक्ट से वर्त्तमान केस भी साबित होगा।

अध्यक्ष—इसलिए आप अपना उदाहरण देना चाहते हैं कि ऐसा वे किया करते हैं तो इस बार भी किया होगा?

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—लास्ट बजेट सेशन की बात है।

अध्यक्ष—पहले हमको आप समझा दीजिए कि उदाहरण देने का क्या उद्देश्य है?

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अदालत के सामने अगर कोई मुजरिम रहता है तो उसके कैरेक्टर पर भी एविडेंस रेलिव्हेंट माना जाता है।

अध्यक्ष—हमेशा ऐसी बात नहीं होती है।

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—पहले सुन लिया जाय; अगर रेलिव्हेंट हो तब मंजूर किया जाय। अध्यक्ष महोदय, तो मेरा एक छोटा नौकर १० वर्ष का बच्चा फ्लैट से नीचे गिर गया।

१४. पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा श्री गीता प्रसाद सिंह, एम० एल० सी०, (१७ मार्च, की पुत्री की एक्स-रे परीक्षा करने में उपेक्षा।

अध्यक्ष—यह मिसाल तो दूसरे तरह की है।

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—यह एक बहुत अच्छी मिसाल है, अध्यक्ष महोदय (हंसी)।

अध्यक्ष—लेकिन यह एक बच्चे के बारे में मिसाल है और मोशन है एक बच्ची के बारे में।

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—डाक्टर के कंडक्ट के ही बारे में है।

अध्यक्ष—अच्छा कहिए।

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—तो वह गिर गया और बेहोश हो गया। उसके मुंह से खून गिरने लगा। मेरे पास मोटर तो थी लेकिन उसकी बैट्री खराब थी इसलिए वह आर्डर में नहीं थी उस वक्त। मैंने पटना मेडिकल कालेज अस्पताल के सुपरिन्टेन्डेन्ट को टेलीफोन किया और कहा कि उस बच्चे के मुंह से खून गिर रहा है और मालूम होता है शायद नहीं बचे। सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब ने कहा कि मैं भी फोन कर देता हूं और आप फोन कीजिये इमर्जेन्सी वार्ड को, वे लोग ऐम्बुलेंस भेज देंगे लड़के को लाने के लिए। मैंने इमर्जेन्सी वार्ड में फोन किया तो उन लोगों ने कहा कि पहले रुपया जमा करना पड़ता है तब ऐम्बुलेंस भेजा जाता है। हमने कहा कि दो-तीन रुपए की तो बात है मैं जमा कर दूंगा, इतनी छोटी रकम लेकर मैं भागा नहीं जा रहा हूं, आप ऐम्बुलेंस भेजु दीजिए, लड़का बेहोश है और हो सकता है नहीं बचे। मैंने यह भी कहा कि जब रुपया हम दे देंगे तो आप गाड़ी पर उसको चढ़ाइयगा। उन्होंने जवाब दिया: "आई एम हेल्पलेस"। मैंने फिर सुपरिन्टेन्डेन्ट को फोन किया। उन्होंने कहा कि हम टेलीफोन कर रहे हैं; आप फिर टेलीफोन कीजिए। वे लोग जरूर गाड़ी भेजेंगे। हमने फिर टेलीफोन किया इमर्जेन्सी वार्ड को, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद हम बहुत झंझट में पड़े। उस वक्त एकाध एम० एल० ए० वहां और मौजूद थे। हमको जहां तक याद है हमारे चीफ ह्विप श्री राम लखन सिंह यादव भी वहां थे। हमने आखिर मजबूर होकर एक रिक्शा किराया करके एक दूसरे आदमी के साथ उसको भेजा। संयोग की बात लड़का बच गया। चन्द दिनों के बाद जब उन लोगों को मालूम हुआ कि यह किसी एम० एल० ए० का आदमी है तो बिछावन से उतार कर नीचे फर्श पर उसको सुला दिया गया (हंसी)। अब एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। रामनारायण मंडल नाम का एक लड़का जिसका केरीयर बहुत ब्रिलीयंट, मैट्रिकुलेशन फर्स्ट डिवीजन.......

अध्यक्ष—आपके फिर और उदाहरण देने का क्या मतलब है यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—मैं यह कह रहा था कि वह लड़का आई० एस०-सी० में युनिवर्सिटी में थर्ड हुआ।

अध्यक्ष—यह सब कहने से तो कुछ होगा नहीं (हंसी)।

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—जब वह लड़का बीमार पड़ा तो मेडिकल वार्ड में भर्त्ती हुआ।

अध्यक्ष—आप 'काम रोको' प्रस्ताव के बारे में जो कुछ कहना हो कहें।

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—इस तरह की घटना पटना जेनरल अस्पताल में बराबर होती है और मैं जो उदाहरण देना चाहता था उसे अब नहीं दूंगा।

अध्यक्ष—आप डाक्टर की गलती के बारे में कहें।

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—इसमें क्या कहना है। इसमें डाक्टर की गलती तो जरूर थी। कोई बीमार हो, दुख से तड़पता हो, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे को खटखटाता फिरता हो और उसे अस्पताल में कोई सुनने वाला नहीं हो, यह क्या डाक्टर का नेग्लीजेन्स नहीं है? इसी प्रकार की एक घटना कई वर्ष पहले हुई थी जब मैं कौलेज में पढ़ता था। श्रीमती सरस्वती देवी जो इस सभा की एक सदस्या थीं उनका कर्नल मोहानी ने अपमान किया था जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ दिनों के अन्दर ही उनको हिन्दुस्तान छोड़ कर विलायत जाना पड़ा। कोई भी डाक्टर अगर वह अपने ड्यूटी में फेल करता है तो वह दूसरों की जान के साथ खेलवाड़ करता है। यहां केवल ड्यूटी में फेल करना दूसरे किसी प्रकार के काम के ऐसा नहीं है। यहां तो जीवन-मरण का प्रश्न है। मैं मेडिकल कौलेज के इस तरह के नेग्लिजेन्स का बहुतसा दृष्टांत दे सकता हूं, पर इजाजत नहीं है, इसलिये इतना ही कह कर बैठ जाता हूं।

*श्री दारोगा प्रसाद राय—अध्यक्ष महोदय, आपने बार-बार कहा है कि इस घटना के बारे में जो कहना हो कहें। पटना जेनरल अस्पताल के लिये तो यह कोई नई चीज नहीं है। यह तो इस अस्पताल के लिये एक परमानेन्ट बीमारी है, जिसको दूर करने के लिये दवा खोजनी है। दो साल पहले जब प्रोफेसर घोष की मृत्यु हुई थी, उस समय हम लोगों में से सबसे पुराने सदस्य (ऐन ओल्डेस्ट मेम्बर ऑफ दिस हाउस) श्री हरवंश सहाय ने कहा था कि यह अस्पताल नहीं है, कसाईखाना है। कोई भी आवेश में ऐसा कह सकता है क्योंकि वहां का व्यवहार ही इस तरह का होता है जिस कारण से ऐसा कहने के लिये मनुष्य वाध्य हो जाता है। हम लोग इस तरह के व्यवहार के अभ्यस्त हो गये हैं, इसलिये कुछ नहीं कहते हैं। आजकल तो पब्लिकमैन को पब्लिक के वोट पर निर्भर करना पड़ता है जिनके वोट पर पं० जवाहर लाल को भी निर्भर करना पड़ता है। हम लोग इस अस्पताल के व्यवहार से भी अभ्यस्त हो गये हैं और वहां के दुर्व्यवहार का कभी जिक्र भी

नहीं करते हैं। हमारे साथ भी एक घटना हुई थी, पर मैंने न प्रश्न ही दिया, न 'काम रोको' प्रस्ताव ही दिया पर श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल ने जो बात कही है वही हमारे साथ भी हुई थी। हमारे छोटे भाई की स्त्री को डिलेवरी होने वाली थी। मैं एम० एल० ए० फ्लैट में रहता हूं और मैंने वहीं से फोन किया था कि ऐम्बुलेन्स भेज दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, जवाब आया कि २ रु० जमा कर दीजिए तो कार भेजी जायगी। हमने फिर कहा कि यह बहुत इमरजेन्ट केस है पहले आप कार भेज दें, मैं वहां आकर रुपया दे दूंगा। हुजूर, वहीं पर नवल बाबू, जो पहले सर्चलाइट के न्यूज एडिटर थे, और आजकल पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेन्ट की तरफ से दिल्ली में नियुक्त किए गए हैं, बैठे हुए थे। हमलोग आपसे कोई खास प्रिविलेज नहीं चाहते हैं। उन्होंने भी कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ और कार देरी में आई। नतीजा यह हुआ कि चिकित्सा विभाग के नेग्लीजेन्स के कारण उसे कार में बच्चा पैदा हो गया। हमने इसके लिए कोई कंपलेन्ट नहीं किया, क्योंकि हम समझते हैं कि कंप्लेन्ट करना यूसलेस है। आज मंत्रियों का यही रवैया हो गया है कि वे कंप्लेन्ट करने पर उसको जांच के लिये भेज देते हैं और जांच होने पर ९९ प्रतिशत केस इन्नोसेन्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आज कल रोज की यही बात है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी पर कंपलेन्ट किया जाय तो उसकी जांच उसी विभाग के द्वारा की जाती है जिसका नतीजा यह होता है कि कुछ भी नहीं होता है। अगर उप-निदेशक पर कंपलेन्ट है उसकी जांच निदेशक करते हैं और किसी विभाग के आफिसर पर अगर शिकायत है तो उसकी जांच भी उसी विभाग के द्वारा करायी जाती है। तो हमारा कहना है कि आजकल जांच से कुछ होता नहीं है। हम यह नहीं चाहते हैं कि हमलोगों को खास सुविधा मिले, मेरा कहना यह है कि इस बुराई को दूर करने के लिए कोई रेमेडी निकालना चाहिए। हम यह नहीं कहते हैं कि किसी टेकनीशियन ने गलती की या डाक्टर बनर्जी ने गलती की, गलती करना तो इममैटेरियल है। लेकिन हमारा कहना है कि किसी चीज की जांच की जाती है तो दोष करने वाले का बाल बांका नहीं होता है और वह दोष दूसरे पर फेंक दिया जाता है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इस सिरियसनेस को दूर करने के लिए हाई पावर कमिटी बननी चाहिए और वह इसकी जांच करे और इस तरह इसे दूर करने की कोशिश की जाय। हुजूर, हमलोगों का भी इन सब वजहों से पोजीशन खराब रहता है क्योंकि इस अस्पताल में अच्छे से अच्छे भी डाक्टर हैं और हमलोगों को उनसे रात-दिन काम रहता है तथा ऐसा वाक्या होने से हमलोगों को खिलाफ में बोलना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि अगर कोई डाक्टर जहर दे देगा तोभी हमलोगों को कोई संदेह नहीं होगा क्योंकि हमलोग अपने जीवन को उनके ऊपर छोड़ देते हैं। बहुत से डाक्टर ऐसे हैं जो रुपया लेने पर किसी की जान भी चली जाय तो भी इनको परवाह नहीं रहती है।

They are money-grabbers and they can grab money at the cost of the life of the people.

तो ये जो पेशा वाले डाक्टर हैं उनकी ऐसी हालत है और यह बहुत शर्मनाक और सीरियस बात है। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार एक हाई पावर कमिटी बनावे और उसमें गैर-सरकारी और सरकारी योग्य आदमियों को रखे जो

दोष को साबित करने में खूबी के साथ काम करे। मुझे भी कई डाक्टरों से बातचीत होती है। मुझे एक पूर्णिया के डाक्टर से बातचीत हुई थी जोकि एक प्राइवेट डाक्टर हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हमको तो लोग बदमाश नहीं कहते हैं और हम पर किसी का इम्प्रेशन खराब नहीं है, लेकिन पटना मेडिकल कालेज अस्पताल का ऐसा क्यों ऐफेयर्स रहता है। हम नहीं कहते हैं कि सभी डाक्टर मनी-ग्रैवर्स हैं, बहुत से ऐसे डाक्टर हैं जो सेन्टली हैं और लोगों को अच्छी तरह से देखते हैं। तो सभी दोष डाक्टर पर ही नहीं लगाये जा सकते हैं, कुछ ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज भी होती हैं। कुछ दोष डाक्टर्स और टेकनीशियन्स के रहते हैं और कुछ दोष वर्किंग में भी रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आजकल जो राजेन्द्र ब्लौक बन रहा है-उसमें कर्नल नाथ उसके इन्चार्ज हैं और यह काम उनको इनाम में दिया गया है चूंकि वे हजारीबाग जेल में अच्छा काम किए थे और स्वीटजरलैंड से कुछ विशेषता लेकर आये थे। तो मैं कहता हूं कि कब तक उनको ये इनाम दिए जायंगे, पता नहीं चलता है। साहब, इसी पटने में सरकार बैठी हुई है और यहीं से १० डेग की दूरी पर ये सब वाक्या होते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर समय मिल जाय तो मैं और साफ-साफ बतलाता, लेकिन हमारे पास समय नहीं है।

अध्यक्ष—अगर आप रेलेवेन्ट बातें कहेंगे तो आपको समय मिल सकता है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—अगर हमको मेडिकल बजट पर बोलने के लिए सोमवार को समय मिला तो मैं इस पर कहूंगा। तो आप एक तरफ कहते हैं कि लोगों को आजादी दी गयी है और दूसरी तरफ आप पब्लिक के जीवन के साथ खेलवाड़ करते हैं। हम कभी भी नहीं एम० एल० ए० कह कर दवा कराने गए हैं और हम कहना भी नहीं चाहते हैं और हम किसी डाक्टर से अगर जान-पहचान है तो उसी से काम करा लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसके लिए एक हाई पावर कमिटी बनावें और इस पर ऐक्शन लें जिसमें फिर आगे से ऐसी बात नहीं होने पावे। कुछ आदमियों के चलते अच्छे-अच्छे डाक्टर भी डिमोरलाइज हो जाते हैं, इसलिए आप कमिटी बनावें और जांच कराकर दोषी को पनिशमेन्ट दें।

तो इसमें बहुत से रिजन्स हैं जिसकी वजह से ऐसी बातें आये दिन हुआ करती हैं। इसलिए मेरा अन्तिम निवेदन है कि जिस पर्टिकुलर आदमी ने गीता बाबू की बच्ची की साथ खेलवाड़ किया है उसको ऐसी सजा दी जाय जिससे आगे भी ऐसा न हो और हमेशा के लिए भी यह बात दूर हो जाय तथा वर्किंग भी अच्छी तरह से चले। इतना ही मेरा इस समय पर कहना है।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, इस बहस के दरम्यान में हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री ने बताया है कि जो वाकया हुआ है उसकी पूरी जांच होगी। लेकिन उसमें डिफेन्स में जो डाक्टरों की बातें होंगी उसकी एक झलक उनकी भावना में मिली है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक वाकया का सवाल है यानी जहां तक श्री गीता प्रसाद की बच्ची के इलाज का सवाल है, यह सब्स्टेंशिएट हो चुका है कि डाक्टर की गलती हुई है, और इसमें कोई

मतभेद नहीं हो सकता है। जब सब्स्टैन्शियेट हो चुका और सदन के सामने सारा वाकया आ चुका है तो हमें उसकी पूरी जांच के लिए एक एन्क्वायरी कमिटी बैठानी चाहिये। हमारे सदन के कई सदस्यों की भी राय है कि इस एन्क्वायरी के लिए एक हाई लेवेल एन्क्वायरी कमिटी बैठाई जाय। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री हमारी राय मान लेंगे। मान लिया जाय कि डिफेन्स की ओर से यह कहा जा सकता है कि श्री गीता प्रसाद सिंह की बच्ची के केस में कोई अर्जेन्सी नहीं थी। हमारे माननीय मंत्री ने भी इन्टर्वीन करते हुए डिफेन्स को बचाने के जैसा, जो बातें कही हैं उससे.........

श्री हरिनाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य यह बता सकते हैं कि मैंने किन बातों में या किन शब्दों में डिफेन्स करने की बात कही है?

श्री यमुना प्रसाद सिंह—आपने सुपरिन्टेन्डेन्ट की बात कही कि सुपरिन्टेन्डेन्ट ने रिपोर्ट दी कि अर्जेन्ट केसेज उस दिन थे।

श्री हरिनाथ मिश्र—जहां तक मैं समझ सका सुपरिन्टेन्डेन्ट के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन माननीय सदस्य चौधरी जी के भाषण से जैसा मालूम हुआ कि उनका कहना था कि एक तरह की साजिश है जिसमें सुपरिंटेन्डेन्ट भी शामिल हैं, वे साजिश में हिस्सा रखते हैं। लेकिन यह असंभव मालूम पड़ता है।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—अरजेंसी थी ऐसा केस श्री गीता सिंह का था।

अध्यक्ष—जिस वक्त वे वहां गये उस वक्त किसी को एक्जामिन नहीं कर रहे थे।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—हमने तो उसको दूसरे हौले फोर्म में रखा है। श्री गीता सिंह जी के स्टेटमेन्ट को मान लिया जाय।

अध्यक्ष—मैं यह कहना चाहता हूं कि इतनी बात है कि जिस वक्त वे गये कोई केस नहीं था। तीनों बिना काम के थे। तब तो आगे कोई अरजेन्ट केस था या नहीं यह सवाल नहीं उठता है।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—इस विषय में छानबीन की जाय। कोई हाई लेवेल इनक्वायरी की जाय।

अध्यक्ष—अभी हाई लेवेल या लो लेवेल की बात नहीं कही गयी है।

श्री यमुना प्रसाद सिंह—सदन के सामने कोई डिफेंस नहीं है। श्री मुद्रिका सिंह ने कहा कि कहां डिफेक्ट है। उस हालत में मैं यह सुझाव देता हूं।

*श्री रामानन्द तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर सदन विचार कर रहा है, यह किस उद्देश्य का परिचायक है, यह स्टेट आज किस तरफ जा रहा है, उसीका सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारे स्टेट के जो बड़े-बड़े सुपीरियर अफसर्स हैं उनकी मनोवृत्ति क्या है आप विचार करें।

अध्यक्ष—सुपीरियर अफसर की बात कहां है?

श्री रामानन्द तिवारी—टेकनीशियन की बात है, हेड्स ऑफ डिपार्टमेन्ट की बात है, उनके जो प्रधान हैं उनकी बात है। वे ही वहां सुपीरियर अफसर हैं।

अध्यक्ष—इसमें तो वान्ट ऑफ सुपरविजन पर विचार करना है।

श्री रामानन्द तिवारी—खैर, इसे छोड़ देता हूं। टेकनिकल मेडिकल कानून के अनुसार, मेडिकल कोड के अनुसार ही नहीं बल्कि दूसरा मानवीय तरीका भी होना चाहिए, दोनों तरह का होना चाहिए। यह नहीं कि एक आदमी जीवन-मरण से संघर्ष कर रहा हो, एक आदमी के ऊपर इतना बड़ा खतरा हो और डाक्टर न जाय। एम० एल० ए० डिस्पेन्सरी का प्रधान डाक्टर लिख देता है कि तत्काल इसका एक्सरे लिया जाय, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप विचार करें कि वहां एक्सरे विभाग में चाहे वे एम० एल० सी० हों, एम० एल० ए० हों या साधारण नागरिक हों, सभी पर ध्यान रहना चाहिए, मैं उनमें नहीं हूं कि मैं एम० एल० ए० हूं जिनको खास सुविधा दी जाय, यह मानने वाला मैं नहीं हूं। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि इस राज्य की जनता, इस देश की जनता, जानती है कि जो एम० एल० ए० हैं, एम० एल० सी० हैं, वे कानून जानते हैं और वे ही नियम बनाते हैं।

हमलोग जनता के प्रतिनिधि हैं, नियम बनाने वाले हैं, सदन में बजट पास करते हैं, दुख-सुख को दुनियां के सामने रख सकते हैं जब उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो आज जो जनता देहात से आती है या गरीब मजदूर है उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा, इसका यह सबसे बड़ा प्रमाण और परिचायक है। एक छोटी बच्ची को रोते हुए लेकर एक माननीय सदस्य जाते हैं.....

अध्यक्ष—एक बात है। अगर वे एम० एल० सी० होने का दावा रखते हों और समझते हों कि फायदा होगा, फायदा हो या नहीं, मैं नहीं जानता। एम० एल० सी० होने की वजह से ऐडजोर्नमेन्ट मोशन आ सका।

श्री मुद्रिका सिंह—इस हाउस में मैंने ४ बार ऐडजोर्नमेन्ट मोशन लाया है, यह ५वां है जिसे आपने स्वीकार किया है।

अध्यक्ष—तो हमारी धारणा ठीक नहीं है?

श्री रामानन्द तिवारी—जब प्रोफ़ेसर घोष की मृत्यु हुई उस वक्त मैंने ऐडजोर्नमेन्ट मोशन लाया। फिर एक मेहतर की हत्या हुई तब हमने शोर्ट नोटिस क्वेश्चन

रखा, यह तो हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि जब राज्य की जनता के साथ अन्याय हो तो मैं उसको सदन के सामने रखूं।

अध्यक्ष—आप तो वही रख सकते हैं, जिसकी खबर आपको हो।

श्री रामानन्द तिवारी—जी हां। जब खबर मिलेगी ही नहीं तब कैसे रख सकूंगा? मेडिकल कालेज का डाक्टर इस तरह से व्यवहार करता है। ३ आदमी बैठ कर बातें कर रहे हैं और रोती हुई बच्ची के तरफ उनलोगों का ध्यान नहीं जाता है, वे नहीं पूछते हैं कि बच्चे को क्या हुआ है जबकि अर्जेन्ट लिखा हुआ है। कम से कम एक मनुष्य के नाते भी उन्हें पूछना चाहिए था। एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है, वह कहता है कि जाकर प्रधान डाक्टर से दस्तखत करा कर लाइए, आपके पास इमरजेन्सी के बारे में जो कानून है वह कहता है कि वहां २४ घंटे लोग रहते हैं, १२ बजे रात में भी जायं तो देखना चाहिए इसी का इमर्जेन्सी नाम है। यदि दोनों को एक ही तरीके से देखा जाय तो फिर नौरमल और इमर्जेन्सी में क्या अन्तर है? गीता सिंह के पेपर में अर्जेन्ट लिखा हुआ था।

हमलोग ऐडजोर्नमेन्ट मोशन रखते हैं, कटौती का प्रस्ताव रखते हैं इससे सरकार के बड़े-बड़े नौकर तलमला जाते हैं, घबड़ा जाते हैं और प्रतिशोध की भावना रखते हैं।

उनके भीतर द्वेष की भावना है। सदस्य लोग असेम्बली में जाकर हमारे ऊपर बोलते है, आलोचना करते हैं, ये सारी बातें उन्हें खलती हैं और इसके कारण उनके भीतर प्रतिशोध की भावना रहती है। अध्यक्ष महोदय, विचार किया जाय कि यदि वह लड़की मर जाती तो क्या होता, समय पर काम नहीं होता, एक्सरे नहीं होता, दवा नहीं होती तो रोगी आखिर मरेगा ही। कहीं हत्या होती है, खून होता है, सारी चीजें होती हैं तो ३०२ का केस चलता है लेकिन एक डाक्टर जिसके देखने से बच्ची ठीक होती, लेकिन वे उसको नहीं देखते हैं और अपना कर्त्तव्य नहीं करते हैं तो इसे भी आप मर्डर और खून के बराबर ही कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बिहार की जनता की दुर्दशा की जाती है लेकिन इसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता। आपने देखा कि एक कुत्ते का एक्सरे, जैसा कि श्री मुद्रिका सिंह ने बतलाया, तीन-तीन बार हुआ और यहां बच्ची को देखा तक नहीं गया। जिस समाज में, जिस राज्य में डाक्टर के दृष्टिकोण में मानव और कुत्ते में कोई अन्तर नहीं हो, उसमें कहां तक मानवता का दृष्टिकोण हो सकता है। यहां एक छोटी बच्ची की बात है जिसे आज भी मैंने देखा है कि जरा उसका हाथ पकड़ा तो बिलख-बिलख कर रोने लगी। वह अपना दुख भी नहीं कह सकती, उसके साथ ऐसा वर्ताव किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में आज अधिकतर डाक्टर ऐसे हैं जो मानवता के दृष्टिकोण से बिल्कुल वंचित हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस बात का परिचायक है? हमारी सरकार जो हमलोगों की बनाई हुई सरकार है, उसके मंत्रिगण जब अफसरों की बात होती है तो यहां बैठकर उनकी रक्षा करते हैं, उनको डिफेन्ड करते हैं। आज उनका यह कर्तव्य है कि सदन में बैठकर नौकर-शाही दल की रक्षा करें जो अंग्रेजी राज्य में भी नहीं हुआ करता था। अध्यक्ष महोदय, मेरा अपना अनुभव है कि आज से डेढ़ वर्ष पहले एक आदमी हमारे

पास आया जिसको लकवे की बीमारी हो गई थी। हमने तीन बार अस्पताल में एम्बुलेन्स कार के लिए फोन किया। जवाब मिला कि पहले पैसा जमा कराइए उसके बाद कार जायगी। लाचार होकर म सात रुपए में टैक्सी करके उन्हें अस्पताल ले गया। अध्यक्ष महोदय, यह दृश्य आखिर किस बात का परिचायक है? आपके द्वारा में सदन के सदस्यों से और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं....

अध्यक्ष—सुना जाता है कि बहुत दफा कार का पैसा अस्पताल को नहीं मिलता, इसीलिए ऐसा नियम बना।

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, ऐसा होना चाहिए कि कार आ जाय उसके बाद पैसा मांगा जाय और कहा जाय कि पैसा दो तो ले जायंगे। आखिर अर्जेन्सी का क्या महत्व है? अध्यक्ष महोदय, में एक और बात कहना चाहता हूं कि डाक्टरों को नौ बजे अस्पताल में जाना चाहिए। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो छोटे बच्चों के डाक्टर हैं वे कभी भी ९ बजे नहीं पहुंचते। अगर वे आ जायं तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष—यहां समय की बात नहीं है।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि इसी तरह का व्यवहार डाक्टर करते हैं और अपना मनमाना करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए इसलिए कि जो घटना घटी है वह इतनी महत्वपूर्ण है कि इससे हमलोगों को सचेष्ट होना चाहिए। जो निर्दोष जनता है, जिनको कोई देखने वाला नहीं है उसको तो अस्पताल में और भी कोई नहीं पूछता है। अध्यक्ष महोदय, इन चीजों को रोकने के लिए आप डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करें। होता यह है कि एक्सरे कराने के लिए प्राइवेट डाक्टर को सोलह रुपया देना पड़ता है। अस्पताल में कोई एक्सरे के लिए गया तो उसे कहा जाता है कि बाहर एक्सरे करा लो और इस तरह से उस प्राइवेट डाक्टर से उन्हें भी शेयर मिल जाता है। यही असल इन कारणों की जड़ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप मेडिकल कालेज अस्पताल को सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो आप पहले डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करवाइए और उनका `तन बढ़ाइए।

अध्यक्ष—जो घटना है इसके संबंध में आप कहें कि संबंधित डाक्टर ी सजा हो या माफ किया जाय।

श्री रामानन्द तिवारी—माननीय मंत्री क्या जवाब देंगे इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास होता है कि वे इसकी छानबीन करेंगे। हमारे दोस्त श्री राम नारायण चौधरी ने रेकर्ड की बात कही है। आप देखें कि वहां जाने से कहा जाता है कि आज एक्सरे का दिन नहीं है। आखिर इमरजेन्सी का मानी क्या है? इमरजेन्सी का मानी तो यही है कि सब कामों को छोड़कर पहले इस काम को किया जाय। और आखिर यदि बच्ची का एक्सरे हुआ तो फिर यह क्यों कहा गया कि एक्सरे का दिन नहीं है।

आखीर में अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि सदन के सदस्यों की एक कमिटी बनाई जाय और वह इसकी जांच करे और जो डाक्टर दोषी पाय जायं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाय ताकि फिर इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो।

श्री रामनरेश सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी इस मोशन पर सभा में जो वाद-विवाद हो सका है उससे यह साफ जाहिर होता है कि गीता बाबू के साथ जो घटना घटी है यह कोई नयी घटना नहीं है। इस तरह की घटनायें आये दिन हुआ करती हैं।

अध्यक्ष—श्री दारोगा प्रसाद राय यह कह चुके हैं, आप दोहरा रहे हैं।

श्री रामनरेश सिंह—हुजूर, मैं दोहरा नहीं रहा हूं रेफरेन्स कर रहा हूं कि अस्पताल इस मामले में जिस तरह से बदनाम है शायद बिहार स्टेट की एक-एक जनता इसे भली-भांति जानती है। इस तरह से रोगियों के ऐडमीशन में या सीरियस केसेज में बड़े-बड़े डाक्टर नेगलेक्ट करते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

लेकिन जहां तक गीता बाबू की घटना का संबंध है, श्री मुद्रिकाजी ने विस्तार से उसको यहां रखा है। मैं अपनी राय इसमें देता हूं, मैं दो आदमियों की गलती पाता हूं। पहली गलती डा० वर्मा या शर्मा जो हों उनकी है।

अध्यक्ष—निश्चित रूप से कहें।

श्री रामनरेश सिंह—गीता बाबू पहले डा० वर्मा के पास गये थे।

अध्यक्ष—शायद आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले जब बहस हुई थी उस समय यह कहा गया था कि स्लिप दिया तब डाक्टर आये।

श्री रामनरेश सिंह—दूसरे दिन आये। उस दिन नहीं। जब एक्सरे हुआ, तो उसमें निकला कि देर होने के कारण कुछ डिफेक्ट हो गया है। यह मामूली बात नहीं है बल्कि बहुत सीरियस बात है। जब जनता के प्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तब और आम लोगों के साथ क्या होता होगा यह विचारणीय विषय है।

अध्यक्ष—इस ग्राउन्ड को तो उन्होंने नहीं लिया था।

श्री रामनरेश सिंह—एम० एल० ए० फ्लैट के डाक्टर ने जब लिख दिया था तो डा० वर्मा को यह मालूम था कि ये एम० एल० सी० हैं। डाक्टर सादे कागज पर नहीं लिखते हैं वरन् एक फोर्म होता है, उसमें लिखा जाता है कि एम० एल० ए० हैं कि एम० एल० सी०। जब एम० एल० सी० के साथ इस तरह का व्यवहार होता

है तो जनता जनार्दन के साथ क्या व्यवहार होता होगा इसे आप भली-भांति समझ सकते हैं। मैं मुख्य मंत्री से कहूंगा कि आप इस पर गौर से सोचें। जब आदमी बीमार होता है तब वह दूसरों के आश्रित रहता है और ऐसे समय में दवा की बहुत जरूरत होती है। गीता बाबू की बच्ची छोटी थी वह अपने दुख-दर्द को कह नहीं सकती थी। दूसरी बात मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जब यहां स्थगन प्रस्ताव आया तो सुपरिन्टेन्डेन्ट किसी मंत्री के यहां जाकर कनभासिंग कर रहे थे कि ऐसी बात नहीं है। आज गलतियों पर पर्दा डालने की आदत हो गयी है इसलिये सुपरिन्टेन्डेन्ट भी बरी नहीं हैं। मैं उनकी एक बात बताता हूं। हमारे क्षेत्र के एक ओभरसियर, जो सरकारी नौकर हैं, मोहनिया में रहते हैं, उनको आई स्पेशलिस्ट डी० के० बोस ने कहा कि ४०० गोली ले जाइये, आप देहात में रहते हैं। लेकिन सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उनको अपने कमरे से निकाल दिया कि नहीं देंगे और कहा कि १५ गोली से अधिक नहीं देंगे। अन्त में आरजू मिन्नत के बाद ३० गोलियां उन्होंने लिखा। मैं उनकी दरखास्त लेकर चिकित्सा मंत्री के पास गया और उन्होंने अपने सचिव को लिख दिया कि इस पर उचित कारंवाई होनी चाहिये। फिर सचिव ने लिख दिया कि इनके पुर्जे में जो लिखा है वह मिल जाना चाहिये। डिप्टी डाइरेक्टर से ४०० गोलियों को देने के लिये ऑर्डर मिला इस पर भी उनको गोली नहीं मिली और कहा गया कि ६० से अधिक नहीं दे सकते हैं और वह ओवरसियर ६० गोलियां ही लेकर चला गया। मंत्री, सचिव आदि अफसरों के हुक्म की तामील इसी तरह आज हो रही है।

अध्यक्ष—यहां सुपरिन्टेन्डेन्ट की बात लागू नहीं होती है।

श्री रामनरेश सिंह—मैं इसलिये कह रहा हूं कि इस तरह की घटनाएं जेनरल अस्पताल में बराबर होती हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि अधिकारियों को उचित सजा मिलनी चाहिये।

(श्री हृदय नारायण चौधरी खड़े हुए।)

अध्यक्ष—आप ५ मिनट से अधिक न बोलें।

श्री हृदय नारायण चौधरी—अच्छा होगा यदि मंत्री के जवाब को सुनने के बाद हम बोलें।

अध्यक्ष—'काम रोको' प्रस्ताव में यह नियम नहीं है कि मंत्री आखीर में बोलेंगे। कोई भी बोल सकते हैं, चाहे मंत्री हों या सदस्य। १५ मिनट से कम बोल सकते हैं, अधिक नहीं।

(श्री हृदय नारायण चौधरी खड़े हुए तो कुछ सदस्य उनको बोलने के लिये कह रहे थे और कुछ मना कर रहे थे।)

पुत्री की एक्स-रे परीक्षा करने में उपेक्षा।

श्री राम लखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, में एक बात कह देना वाजिब समझता हूं कि कोई भी सदस्य हों जबर्दस्ती कोई कहे कि बोलें या न बोलें यह परम्परा ठीक नहीं है।

अध्यक्ष—हाँ, यह परम्परा ठीक नहीं है।

Shri YOGESHWAR GHOSH : Sir, I rise on a point of order. With your permission Mr. Hirdey Narain Chaudhri was called upon to deliver his speech and I hope after that he should not be put to take his seat.

अध्यक्ष—जब आप अपनी जगह से नहीं बोल रहे हैं तो प्वायन्ट आफ आर्डर कैसे रेज कर सकते हैं?

श्री जोगेश्वर घोष—में अपनी जगह पर जाता हूं।

अध्यक्ष—आपका प्वायन्ट आफ आर्डर ठीक नहीं है। अगर में किसी सदस्य को पुकारूं और वे खड़े हो गये और विचार करने के बाद न बोले और बैठ जाय तो में दंडस्वरूप इतना ही कर सकता हूं कि उस विषय पर फिर उन्हें बोलने का मौका न दूं।

*श्री हरिनाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, में कोई भाषण देने के लिये नहीं बल्कि एक सूचना आपको और आपके द्वारा माननीय सदस्यों को देने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संबंध में प्रारंभिक जांच हमारे स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक ने की है और जांच के समय में सभी संबंधित व्यक्ति और माननीय श्री गीता प्रसाद सिंह जी भी उपस्थित थे। जांच की जो रिपोर्ट अभी आई है वह प्रारंभिक है उससे मालूम होता है और जैसा स्पष्ट है....

अध्यक्ष—अंतिम रिपोर्ट आपके पास नहीं है?

श्री हरिनाथ मिश्र—जो अभी रिपोर्ट आयी है उसीके आधार पर अभी में कह रहा हूं। तो में कह रहा था कि इसमें किसी भी डाक्टर या गैजेटेड अफसर का दोष नहीं है। प्राइमा फेसी साफ मालूम होता है कि कुछ टेकनीशियन्स का व्यवहार अच्छा नहीं था और आपत्तिजनक था। में इतना ही कहूंगा कि सरकार की ओर से इस संबंध में जैसी कार्रवाई साधारणतः होती है, एक्सप्लानेशन कौल करना, फिर प्रोसीडिंग ड्रौ करना और उसके बाद अनुशासन की कार्रवाई करना, इस तरह की कार्रवाई उचित और पर्याप्त और शीघ्र की जायेगी। माननीय श्री गीता प्रसाद सिंह से मेरा व्यक्तिगत परिचय है, मित्रता है। कितने सरल और सज्जन व्यक्ति वे हैं, इसे में जानता हूं। उनको जो तकलीफ हुई, में आपसे निवेदन करूंगा, उससे मुझे भी कुछ कम तकलीफ नहीं हुई। में देख रहा हूं कि कई

माननीय सदस्यों ने इस घटना को लेकर क्षोभ प्रगट किया, मुझे भी क्षोभ है, तकलीफ है। इस संबंध में कारंवाई होगी लेकिन असल में सवाल उठता है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो कि कम से कम एक्सरे विभाग में इसके लिये क्या किया जाय और जो कुछ लाभ या हानि इस बहस से हुई या नहीं हुई, एक बात अवश्य हुई और वह यही है कि हमारा ध्यान एक्सरे विभाग की शिकायतों की ओर विशेषरूप से आकृष्ट हुआ। कुछ सुझाव इस संबंध में विशेषज्ञों ने दिये हैं। एक्सरे विभाग की सेवाओं में हम कैसे उन्नति ला सकते हैं, कैसे अधिकाधिक लाभ आम लोगों को उस विभाग के द्वारा हो सकता है इसके लिये कुछ सुझाव वे पेश किये हैं। ये सुझाव इस प्रकार के हैं:—

(1) There should be one Receptionist clerk in the X'ray Department.

(2) One varandah should be added on the northern side for the waiting cases.

(3) Four more technicians and four more ward attendants should be appointed.

(4) The working of the X'ray Department should be whole day.

(5) One more dark room for processing films should be added.

(6) There should be a separate Physiotherapy Department.

(7) One more high powered Diagnostic set should be added.

ये सुझाव हैं और मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इन सुझावों पर अच्छी तरह विचार करके, शीघ्र कदम उठाने की हम कोशिश करेंगे और जहां तक हो सके इन सुझावों को कार्यान्वित करने की चेष्टा करेंगे एवं अन्य उचित कारंवाई करेंगे ताकि फिर भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। इतना ही मुझे निवेदन करना था (थपथपी)।

श्री रामचरित्र सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं बहुत देर

से इस 'काम रोको' प्रस्ताव पर जो विचार हो रहे हैं सोच रहा था। मैं श्री मुद्रिका सिंह को इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने शान्तिपूर्ण, अच्छे शब्दों में, अपने प्रस्ताव को रक्खा और इस बात की कोशिश की कि सरकार इस बात पर गौर करे और ऐसी-ऐसी बातें जो अस्पताल में होती हैं उनको रोकने का इंतजाम किया जाय। इसपर दो विचार नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि जनता के हित के लिये आपने जिन बातों की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया है उसके लिये सरकार सब कुछ करेगी और इस बात की कोशिश करेगी कि भविष्य में इस तरह की बातें न होने पावें और आगे चलकर आपको इस तरह का प्रस्ताव इस सदन में लाने का मौका न मिले। हमारे मित्र चिकित्सा मंत्री महोदय ने आपको सामने दिल खोल कर रख दिया है। अगर जरूरत होगी कमीशन की तो उसका भी इंतजाम शायद वे करेंगे या और तरीका होगा जिस तरीके से सुधार हो सकता है उस तरीके से काम किया जायगा। मगर मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस तरह की

चीज से लोगों को तकलीफ होती है। मगर ऐसे ऐसे मामले में आपको आपस में तय करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि कार्य-स्थगन प्रस्ताव एक ऐसी चीज है जिस पर सरकार को अपनी हस्ती भी बचानी पड़ती है। लेकिन ये सब चीजें अस्पताल में होती हैं, लोगों को तकलीफ होती है। डाक्टर लोग ठीक इन्तजाम नहीं करते हैं। यह तो सबलोगों के साथ होती है और इसको कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में लेना चाहें तो जो सरकार अभी है उसकी मनोवृत्ति की बात कुछ ख्याल में आजाती है। अगर कार्य-स्थगन प्रस्ताव ले लिया गया तो इसका मतलब है सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव आ गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे-ऐसे मामलों में, जो कॉमन चीज है, जैसे हॉस्पिटल के बारे में हो या और किसी चीज के लिए हो, स्थगन-प्रस्ताव नहीं लाकर जो मिनिस्टर इंचार्ज हों, उनसे बातचीत करके फौरन तय कर लेना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इन सब बातों को सोचें और गौर करें और भविष्य में ऐसे मामलों पर स्थगन-प्रस्ताव नहीं लावें। इसके बारे में और मैं कह देना चाहता हूं कि स्थगन-प्रस्ताव के लिए स्पेसिफिक मोशन होना चाहिए।

Shri **SRISH CHANDRA BANERJEE** : Sir, I rise on a point of order. I want to know, are we supposed to be students that we stand in need of teaching by the Hon'ble Minister? We know what is adjournment motion.

SPEAKER : There is no teacher and there is no student. All are equal here.

सभा सोमवार, तिथि १९ मार्च, १९५६ को ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।

एनायतुर रहमान, सचिव,

बिहार विधान सभा।

पटना, तिथि १७ मार्च, १९५६।

बि० स० मु० (एल० ए०) १२७—मोनो—८७० + १—११-९-१९५६—के० बी० तथा अन्य